Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

तोलाराम (फौत) जरिये रामीदेवी पुत्री तोलाराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ आदि

बनाम

फुसाराम (फौत) जरिये लीलावती बेवा फुसाराम जाति बहामण निवासी चक 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ आदि

किस्म मुकदमा:—निगरानी अन्तर्गत धारा 312 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009

प्र0स0 523/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन हाजिर। वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1/6 के वकील ने स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.6.2016 की फॉटोकॉपी पेश कर निवेदन किया कि धारा 73 के अधीन सम्पति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु सम्भागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। हस्तगत निगरानी नगरपालिका सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 01.08.2012 व इसकी पालना में स्वीकृत इंतकाल दिनांक 14.8.2012 के विरूद्व पेश की गई है जबकि नगरपालिका सूरतगढ़ के आदेश के विरूद्व सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर को है। अतः हस्तगत निगरानी इसी स्तर पर ही खारिज की जावे। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा हस्तागत निगरानी नगरपालिका सूरतगढ़ के आदेश दिनांक आदेश दिनांक 01.08.2012 व इसकी पालना में स्वीकृत इंतकाल दिनांक 14.8.2012 के विरूद्व पेश की है, जिसकी सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः हस्तगत निगरानी क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निगरानीकर्ता सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अरविन्द कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:05:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner